पीएम-श्री योजना

[स्रोत: IE]

चर्चा में क्यों?

पंजाब के बाद दिल्ली सरकार ने [प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया (PM-SHRI)] योजना को लागू करने के लिये केंद्र सरकार के साथ एक **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय** किया है।

- शिक्षा मंत्रालय ने PM-SHRI योजना में भाग लेने में अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को [समग्र शिक्षा अभियान (SSA)] के तहत **धनराशि** देना बंद कर दिया था।

समग्र शिक्षा अभियान (SSA):

- **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)** स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जो **प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारित है,** जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
  - **इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** और **शिक्षक शिक्षा (TE)** की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है।
    - इस योजना का मुख्य ज़ोर दो **'T '— Teacher** (शिक्षक) और **Technology** (प्रौद्योगिकी) पर केंद्रित होकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है।
    - यह योजना **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।
  - इस योजना के लिये केंद्र और राज्यों के बीच **निधि साझाकरण** का अनुपात **पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिये 90:10** तथा **अन्य सभी राज्यों** एवं विधानमंडल वाले **केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 60:40** है।

PM-SHRI योजना क्या है?

- **परिचय:**
  - भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई PM-SHRI योजना एक **केंद्र समर्थित पहल** है, जिसे [राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020] के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु वर्तमान स्कूलों में सुधार करके लगभग 14,500 से अधिक **PM-SHRI स्कूल स्थापित करने के लिये** डिज़ाइन किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य एक **समावेशी** और **पोषणकारी परिवेश** तैयार करना है, जो प्रत्येक छात्र के **कल्याण तथा सुरक्षा को बढ़ावा** दे, **विविध शिक्षण अनुभव** प्रदान करे एवं **गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना एवं संसाधनों तक अभिगम** प्रदान करे।
- **वित्तपोषण:**
  - **केंद्र और राज्य** सरकारों तथा विधानसभा वाले संघशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) के बीच वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है।
  - **पूर्वोत्तर, हिमालयी क्षेत्र** और केंद्रशासित प्रदेश **जम्मू-कश्मीर को 90:10** का हिस्सा मिलता है जबकि **बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय वित्तपोषण** प्राप्त होता है।
  - राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होती है।
- **योजना की अवधि:**
  - योजना की अवधि **सत्र 2022-23 से 2026-27 तक** है, जिसके बाद **राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ज़िम्मेदारी** होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल किये गए बेंचमार्क को बनाए रखें।
- **PM-SHRI स्कूलों की मुख्य विशेषताएँ:**
  - ये स्कूल संचार, सहयोग और आलोचनात्मक सोच के कौशल सहित छात्रों के **समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित** करेंगे।
  - **शिक्षण पद्धतियाँ अनुभवात्मक, पूछताछ-आधारित** और **शिक्षार्थी-केंद्रित** होंगी।

- स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कला कक्ष होंगे **तथा** जल संरक्षण एवं अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसी 'हरित' पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
    - इनमें **स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, समेकित विज्ञान लैब, व्यावसायिक लैब/कौशल लैब** और **अटल टिंकरिंग लैब** सहित **आधुनिक सुविधाएँ** उपलब्ध हैं।
  - **अधिगम के परिणामों को प्राथमिकता** दी जाएगी तथा **योग्यता-आधारित मूल्यांकन** किया जाएगा जो ज्ञान को वास्तविक जीवन-स्थितियों में लागू करेगा।
- **PM-SHRI स्कूल बनने के लिये पात्र स्कूल:**
  - केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूल।
  - सभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, जो गैर-परियोजना के अंतर्गत हैं तथा स्थायी भवनों से संचालित होते हैं।
- **स्कूलों की मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क:**
  - स्कूल **गुणवत्ता मूल्यांकन अवसंरचना (SQAF)** उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिये नियमित मूल्यांकन के साथ प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
    - SQAF व्यक्तिगत और संस्थागत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये **मानकों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का एक समूह** है।
- **स्कूलों का चयन:** यह 3-चरणीय प्रक्रिया में **चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाता है:**
  - चरण-1 में **केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर करना शामिल है।
  - चरण-2 में **संयुक्त ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE)+** डेटा के आधार पर **पात्र स्कूलों की पहचान** की जाती है और
  - चरण-3 एक **चुनौतीपूर्ण पद्धति है,** जिसमें पात्र स्कूल कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
  - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/KVS/JNV दावों का सत्यापन करते हैं, स्कूलों की सिफारिश करते हैं तथा सचिव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति अंतिम निर्णय लेती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

- NEP-2020 का उद्देश्य भारत को **वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है,** जो वर्ष 1968 और वर्ष 1986 की नीतियों के बाद स्वतंत्रता के बाद से **शिक्षा अवसंरचना में तीसरा बड़ा सुधार** है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **पूर्व-प्राथमिक** से कक्षा 12 तक **शिक्षा तक सार्वभौमिक अभिगम** सुनिश्चित करता है।
- 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये **गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की गारंटी** देता है।
  - 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 आयु समूहों के साथ संरेखित एक नई **5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना प्रस्तुत** की गई है, जिसमें आधारभूत (5 वर्ष), प्रारंभिक (3 वर्ष), मध्य (3 वर्ष) और माध्यमिक (4 वर्ष) चरण शामिल हैं।
  - कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच **सख्त विभाजन को समाप्त करता है।**
  - **बहुभाषिकता** और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना।
  - **समग्र विकास का आकलन और सुधार** करने के लिये **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख की** स्थापना की गई।
  - वंचित समूहों और क्षेत्रों को सहायता देने के लिये **लिंग समावेशन निधि तथा विशेष शिक्षा क्षेत्र का** प्रस्ताव।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-shri-scheme-1